न्यूज़ टुडे

23वां भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ

यह शिखर सम्मेलन भारत और रूस के बीच **रणनीतिक साझेदारी पर घोषणा (2000) की 25वीं वर्षगांठ** का भी प्रतीक था।

- इस साझेदारी को औपचारिक रूप से **2010 में "विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी"** के रूप में उन्नत किया गया था।

शिखर सम्मेलन के मुख्य परिणाम

- **आर्थिक कार्यक्रम 2030:** दोनों देशों ने **ऊर्जा और रक्षा** से आगे व्यापार में विविधता लाने के लिए **"2030 तक भारत-रूस आर्थिक सहयोग के रणनीतिक क्षेत्रों के विकास के लिए कार्यक्रम"** अपनाया।
- **व्यापार लक्ष्य:** दोनों पक्षों ने **2030 तक $100 बिलियन** के द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य निर्धारित किया। 2024-25 में यह व्यापार **$68.7 बिलियन** था।
  - वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रवाह को सुगम बनाने के लिए **भारत और यूरेशियाई आर्थिक संघ (EAEU) के बीच मुक्त व्यापार समझौते (FTA)** की वार्ता को तीव्र किया गया।
- **भुगतान तंत्र:** पश्चिमी प्रणालियों पर निर्भरता कम करने के लिए **राष्ट्रीय मुद्राओं में द्विपक्षीय लेन-देन निपटान** का विस्तार करने तथा **भुगतान प्रणालियों और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज़ (CBDCs) की अंतर-संचालनीयता (interoperability)** पर सहमति बनी।
- **ऊर्जा:** रूस ने **बाधारहित तेल एवं गैस आपूर्ति और भारत के असैन्य परमाणु कार्यक्रम** (कुडनकुलम, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर आदि) के लिए निरंतर समर्थन देने की प्रतिबद्धता जताई।
- **रक्षा और सुरक्षा:** संयुक्त अनुसंधान एवं विकास (R&D), सह-उत्पादन (मेक इन इंडिया का समर्थन), सैन्य अभ्यास और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- **कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स:** INSTC (अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा), **चेन्नई-व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर और उत्तरी समुद्री मार्ग** पर सहयोग बढ़ाया गया।
  - **आर्कटिक क्षेत्र में सहयोग** को बढ़ावा देने के लिए **ध्रुवीय जल (Polar Waters) में संचालित होने वाले जहाजों हेतु विशेषज्ञों के प्रशिक्षण** पर समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए।
- **अंतर्राष्ट्रीय मंचों में सहयोग:** रूस औपचारिक रूप से भारत के नेतृत्व वाले **अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट गठबंधन (IBCA)** में शामिल हुआ।
- **लोगों के बीच संबंध:** कुशल भारतीय कामगारों के लिए प्रवासन और आवागमन पर समझौता ज्ञापन, **रूसी नागरिकों के लिए 30-दिवसीय वीजा-मुक्त ई-पर्यटक प्रवेश,** आदि।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज (DRL) के खिलाफ दायर पेटेंट-उल्लंघन की याचिका खारिज की

दिल्ली उच्च न्यायालय ने डेनमार्क की दवा कंपनी नोवो नॉर्डिस्क द्वारा **डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज** के खिलाफ **सेमाग्लूटाइड दवा** के उत्पादन को लेकर दायर याचिका पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया।

- **सेमाग्लूटाइड को भारत में नोवो नॉर्डिस्क ने पेटेंट कराया** है। यह एक **सक्रिय औषधीय संघटक (Active pharmaceutical ingredient: API)** है। इसका उपयोग **टाइप-2 डायबिटीज और वजन घटाने के इलाज में** किया जाता है।
  - **API किसी दवा में मौजूद वह रासायनिक तत्व** है जो वास्तविक इलाज करता है—जैसे दर्द कम करना, बुखार घटाना या किसी बीमारी का इलाज करना।
- नोवो नॉर्डिस्क अपनी एंटी-डायबिटिक और वजन घटाने वाली दवाओं को **ओज़ेम्पिक (Ozempic)** और **वीगोवी (Wegovy)** ब्रांड नाम से बेचती है।
- उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी कहा कि सेमाग्लूटाइड में **"आंशिक बदलाव" करके दो पेटेंट प्राप्त करना** वास्तव में **एवरग्रीनिंग** का मामला हो सकता है।

पेटेंट की एवरग्रीनिंग क्या है?

- सामान्यतः **पेटेंट अधिकतम 20 वर्षों के लिए** दिया जाता है। दवा कंपनियां अपनी किसी दवा की पेटेंट अवधि बढ़ाने के लिए दवा में **बहुत मामूली बदलाव करके** नए पेटेंट लेने के लिए आवेदन करती हैं। इस तरह दवा पर उनका एकाधिकार बना रहता है। इसे ही **पेटेंट की एवरग्रीनिंग** कहते हैं।
- **एवरग्रीनिंग के तहत किए जाने वाले बदलावों के प्रकार:** दवा के नए रूप प्रस्तुत करना; **साल्ट** का अलग रूप उपयोग करना, **आइसोमेरिक** रूप में बदलाव, नया **पॉलीमॉर्फ** उपयोग करना, **खुराक या डिलीवरी सिस्टम में बदलाव** करना, आदि।
  - उपर्युक्त बदलावों से दवा के चिकित्सीय प्रभाव में बदलाव नहीं आता।
- **एवरग्रीनिंग से निपटने हेतु कानूनी प्रावधान:**
  - **पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 3(d):** दवा के नए रूप या ज्ञात रासायनिक तत्वों के नए उत्पादों पर पेटेंट तभी दिया जा सकता है **जब वे पहले की तुलना में अधिक चिकित्सीय प्रभाव दर्शाएं।** अर्थात, नए बदलावों से **दवा के अधिक असरदार होने की पुष्टि** होती हो। इससे पेटेंट की एवरग्रीनिंग को रोकने में मदद मिलती है।
  - **पेटेंट-योग्य मानक: उत्पाद के नवीन और नया आविष्कार होने** की सख्त शर्तें पूरी करने पर ही पेटेंट मिलता है। दवा में साधारण बदलावों या पुरानी दवा के संघटकों में तकनीकी बदलावों के आधार पर पेटेंट नहीं दिया जाता।
  - **बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित व्यापार पहलू (TRIPS) और दोहा घोषणा-पत्र के तहत छूट:** भारत की पेटेंट प्रणाली TRIPS के मानकों के अनुरूप है। साथ ही, लोक-स्वास्थ्य हितों को ध्यान में रखकर **दोहा घोषणा-पत्र के तहत अनिवार्य लाइसेंसिंग की व्यवस्था का भी उपयोग करता है।** इससे अनावश्यक सेकेंडरी पेटेंट को रोकने तथा **किफायती जेनेरिक दवाइयों की उपलब्धता** सुनिश्चित करने में मदद मिलती है।
    - दोहा घोषणा-पत्र ने यह स्पष्ट किया कि WTO के सदस्य देशों को यह अधिकार है कि वे **अनिवार्य लाइसेंसिंग (CL) का उपयोग करके किफायती** दवाइयों की उपलब्धता बढ़ा सकें।
    - इसमें सरकारें ज़रूरत पड़ने पर पेटेंट धारक की अनुमति बिना किसी दवा की जेनेरिक (किफायती) प्रतिकृति के उत्पादन या आयात करने की अनुमति दे सकती हैं।

लोक सभा में एक गैर-सरकारी सदस्य द्वारा 'राइट टू डिस्कनेक्ट' विधेयक प्रस्तुत किया गया

यह विधेयक कर्मचारियों के कल्याण के लिए एक **कर्मचारी कल्याण प्राधिकरण** स्थापित करने का लक्ष्य रखता है। इससे प्रत्येक कर्मचारी को कार्य के घंटों के बाद और छुट्टियों के दौरान कार्य से संबंधित कॉल व ईमेल से **डिस्कनेक्ट** होने का अधिकार प्रदान किया जा सके।

- एक **गैर-सरकारी विधेयक (Private Members' Bill)** वह विधेयक होता है, जिसे किसी मंत्री के अलावा संसद सदस्य (MP) ने प्रस्तुत किया हो।

राइट टू डिस्कनेक्ट (कार्य से असंबद्ध होने का अधिकार) क्या है?

- राइट टू डिस्कनेक्ट एक **कानूनी सुरक्षा** है, जो कर्मचारियों को कार्य समय पूर्ण होने के बाद कार्य से असंबद्ध होने और नियोक्ता के संबंधित इलेक्ट्रॉनिक संचार की उपेक्षा करने की अनुमति देती है।
- यह **मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (UDHR) के अनुच्छेद 24** पर आधारित है। इसके अनुसार- 'प्रत्येक व्यक्ति को आराम और अवकाश का अधिकार है। इसमें कार्य के घंटों की उचित सीमा और सवैतनिक आवधिक छुट्टियां शामिल हैं।'

राइट टू डिस्कनेक्ट की आवश्यकता

- **कार्य से संबंधित तनाव:** डिजिटल युग में लगातार उपलब्ध रहने के कारण उच्च तनाव, नींद की कमी और मानसिक थकावट होती है।
- **उत्पादकता में गिरावट:** उदाहरण के लिए- अध्ययनों के अनुसार जब प्रति सप्ताह 50 घंटे से अधिक कार्य किया जाता है, तो उत्पादकता गिर जाती है।
- **सामाजिक-मनोवैज्ञानिक प्रभाव:** अधिक कार्य करने से कार्य-जीवन संतुलन, सामाजिक रिश्ते (जैसे- अलगाव) आदि प्रभावित होते हैं।
  - उदाहरण के लिए- 2024 में पुणे में अत्यधिक कार्य के कारण अर्न्स्ट एंड यंग के एक कर्मचारी की मौत हो गई थी।
- **संवैधानिक आधार:**
  - **अनुच्छेद 21:** प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का अधिकार और गरिमा का अधिकार।
  - **अनुच्छेद 39(e):** यह राज्य को कर्मचारियों के स्वास्थ्य और शक्ति के दुरुपयोग को रोकने का निर्देश देता है।
  - **अनुच्छेद 42:** राज्य कार्य की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए उपबंध करेगा।

वैश्विक केस स्टडीज़

- **फ्रांस का एल खोमरी कानून (2017):** औपचारिक रूप से राइट टू डिस्कनेक्ट को मान्यता देने वाला पहला देश।
- **ऑस्ट्रेलिया का 2024 का फेयर वर्क लेजिस्लेशन संशोधन:** यह कानून कर्मचारियों को कार्य के घंटे के बाद ऑफिस से आने वाले संदेशों या कॉल को नज़रअंदाज़ करने का अधिकार देता है। ऐसा करने पर उन पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती। हालाँकि, आपात जैसी स्थिति में ऐसे सन्देश को इनकार अनुचित माने जाने पर नियम अलग हो सकते हैं।

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence-AI) भारत की न्यायिक प्रशासन-प्रक्रिया की जगह नहीं ले सकती

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय में दायर एक **जनहित याचिका (PIL)** में **अदालतों में AI के दुरुपयोग को रोकने के लिए दिशानिर्देश** जारी करने की मांग की गई थी। उच्चतम न्यायालय ने इस याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि न्यायाधीश **जनरेटिव AI (GenAI) के अनियंत्रित उपयोग से होने वाले खतरों के बारे में पूरी तरह सचेत हैं।**

न्यायपालिका में AI के उपयोग से जुड़ी चिंताएं

- **मतिभ्रम (हैल्यूसीनेशन):** GenAI कभी-कभी **त्रुटिपूर्ण या भ्रामक तथ्य** या पुराने काल्पनिक निर्णय या शोध सामग्री प्रस्तुत कर सकता है। इससे निर्णय प्रभावित हो सकता है।
  - **उदाहरण के लिए:** यूनाइटेड किंगडम के उच्च न्यायालय में वकीलों ने AI-सृजित कानूनी दलीलें पेश कीं। इनमें उन कथित **पुराने मामलों (केस) का संदर्भ दिया गया जो वास्तव में काल्पनिक** थे।
- **असमान व्यवहार:** AI का अनुचित तरीके से विकास या उपयोग **अलग-अलग व्यक्तियों/समूहों के साथ असमान या भेदभावपूर्ण व्यवहार** कर सकता है और **पक्षपात को बढ़ावा** दे सकता है।
- **पारदर्शिता की कमी:** AI एल्गोरिदम के पारदर्शी न होने से यह समझना मुश्किल हो जाता है कि निर्णय का आधार क्या है और वह **कितना निष्पक्ष** है।

न्यायपालिका की कार्यप्रणाली में AI का एकीकरण

- **न्याय की प्राप्ति (Access to Justice):** चैटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट्स के माध्यम से AI लोगों को प्रारंभिक कानूनी सलाह उपलब्ध कराकर **न्याय प्राप्ति में मदद** कर रहा है।
- **कार्य-उत्पादकता में वृद्धि:** AI तकनीक **अपील से जुड़े वास्तविक वाद सूची (केस) की पहचान** करने, **स्वचालित ट्रांसक्रिप्शन** देने और **केस-लॉ (पूर्व के निर्णय) समझने में मदद** करती है।
  - **उदाहरण के लिए:** ब्राजील का **विक्टर-AI** सिस्टम वहां के उच्चतम न्यायालय में दायर अपील का **स्वतः प्रारंभिक परीक्षण करता है।**
- **न्यायालय में लंबित मामलों में कमी लाना:** AI नियमित प्रशासनिक कार्यों को स्वचालित करता है, भविष्य के लिए विश्लेषण प्रदान करता है और कानूनी मामलों में शोध में सहायता करता है।
  - **उदाहरण के लिए:** यूनान में AI तकनीक दस्तावेजों को स्वचालित रूप से प्रोसेस करके दायर मामलों का तेजी से निपटारा करने में मदद करती है।

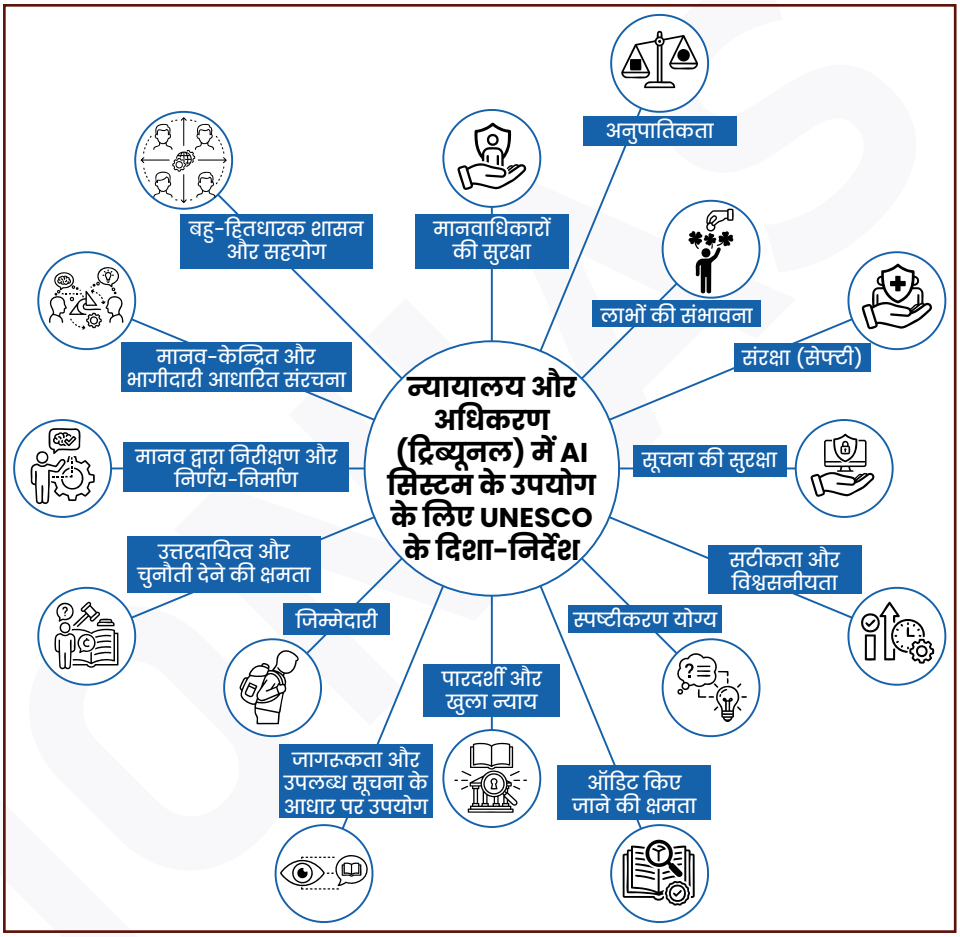

अन्य सुर्खियां

UMEED पोर्टल

केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने सूचित किया है कि 'UMEED पोर्टल' पर **वक्फ संपत्तियों के देर से पंजीकरण पर अगले 3 महीनों के लिए कोई जुर्माना नहीं** लगाया जाएगा।

उम्मीद पोर्टल के बारे में (अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय)

- UMEED का अर्थ है- **एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995.**
- यह एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसका उपयोग **वक्फ संपत्तियों की रियल टाइम अपलोडिंग, सत्यापन और निगरानी** के लिए किया जाएगा।
- **मुख्य विशेषताएं:**
  - सभी वक्फ संपत्तियों की **डिजिटल सूची बनाना** और **जियो-टैगिंग** करना।
  - **ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली** स्थापित करना, ताकि शिकायतों का तुरंत समाधान हो सके।
  - **संपत्ति को पट्टे पर देने (leasing) और उपयोग की पारदर्शी निगरानी।**
  - **GIS मैपिंग** और अन्य **ई-गवर्नेंस टूल्स** से एकीकरण।
  - **जनता** की सत्यापित रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना।

अवसंरचना निवेश न्यास (InvITs)

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को राजमार्ग इन्फ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के लिए **अवसंरचना निवेश न्यास (InvIT)** के रूप में पंजीकरण हेतु SEBI की सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त हुई।

InvITs के बारे में

- InvITs **म्युचुअल फंड्स** की तरह सामूहिक निवेश योजनाएं हैं। ये **व्यक्तियों और संस्थागत निवेशकों को अवसंरचना परियोजनाओं (जैसे- टोल सड़कें, विद्युत पारेषण लाइंस आदि) में निवेश** करने की अनुमति प्रदान करती हैं।
- **InvITs को प्रायोजकों** (अवसंरचना कंपनियों या निजी इक्विटी फर्म्स) द्वारा बनाया जाता है। ये **अंतर्निहित परिसंपत्तियों (underlying assets)** का स्वामित्व एक **ट्रस्ट यानी न्यास** को हस्तांतरित करते हैं।
  - न्यास **निवेशकों को यूनिट्स** जारी करता है।
- InvITs को **SEBI (अवसंरचना निवेश न्यास) विनियम, 2014** के तहत विनियमित किया जाता है।
  - SEBI के अनुसार, InvITs को अपनी आय का **कम-से-कम 90% निवेशकों को वितरित** करना आवश्यक है।

फिनफ्लुएंसर्स (Finfluencers)

हाल ही में, SEBI ने एक प्रसिद्ध फिनफ्लुएंसर को प्रतिभूति बाजार से **प्रतिबंधित** कर दिया। ऐसा इस कारण, क्योंकि वह फिनफ्लुएंसर **अपंजीकृत सेवाओं से अवैध लाभ** अर्जित कर रहा था।

फिनफ्लुएंसर्स के बारे में

- ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का एक ऐसा वर्ग है, जो **वित्तीय सलाहकार** के रूप में कार्य करता है। साथ ही, विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर **निवेश, व्यक्तिगत वित्त, म्यूचुअल फंड्स** आदि पर कंटेंट पोस्ट करता है।

2013 के निवेश सलाहकार विनियमों के तहत SEBI के दिशा-निर्देश

- **अनिवार्य पंजीकरण:** निवेश संबंधी सलाह देने वाले किसी भी व्यक्ति को **शोध विश्लेषक (RA) या निवेश परामर्शदाता (IA)** के रूप में SEBI में **पंजीकृत** होना चाहिए।
  - **अपंजीकृत फिनफ्लुएंसर्स** निवेश संबंधी सलाह प्रदान नहीं कर सकते या प्रतिभूतियों को लेकर उनके प्रदर्शन के दावे नहीं कर सकते।

नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA)

नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने पायलटों की कमी की वजह से कई उड़ानों के रद्द होने के कारण **इंडिगो के लिए 'फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट (FDTL)' विनियमों** में छूट प्रदान की।

DGCA के बारे में (मुख्यालय: नई दिल्ली)

- यह **नागर विमानन (Civil Aviation)** क्षेत्रक में एक **विनियामक** निकाय है, **जो मुख्य रूप से निम्नलिखित से संबंधित है:**
  - सुरक्षा संबंधी मुद्दे, भारत के भीतर/ भारत से/ भारत के लिए हवाई परिवहन सेवाओं का विनियमन तथा
  - असैन्य विमानन विनियमों और उड़ान योग्यता मानकों (airworthiness standards) का प्रवर्तन।
- **मंत्रालय:** यह **नागर विमानन मंत्रालय** का एक **संबद्ध कार्यालय** है।
- यह **अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (ICAO)** के साथ सभी विनियामक कार्यों का समन्वय भी करता है।

गोल्डीलॉक्स अर्थव्यवस्था

RBI ने रेपो दर को 0.25 बेसिस पॉइंट घटाकर 5.25% कर दिया जो अर्थव्यवस्था में एक दुर्लभ **गोल्डीलॉक्स अवधि** का संकेत है।

गोल्डीलॉक्स अर्थव्यवस्था क्या है?

- **परिभाषा:** एक गोल्डीलॉक्स अर्थव्यवस्था एक **आदर्श आर्थिक स्थिति** का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें **संतुलित विकास, कम मुद्रास्फीति और पूर्ण रोजगार** होता है। साथ ही, **ओवरहीटिंग व मंदी** जैसी स्थिति नहीं होती है।
  - **ओवरहीटिंग:** कुल मांग, अर्थव्यवस्था की कुल आपूर्ति क्षमता की तुलना में तेजी से बढ़ने लगती है।
- **संकेतक:** नवीनतम आंकड़ें **7.3% की अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि,** लगभग **2% की सौम्य मुद्रास्फीति** के साथ दर्शाते हैं, जो गोल्डीलॉक्स जैसी स्थिति है।

स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक

लोक सभा ने **स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025** पारित किया। इसका उद्देश्य **रक्षा संबंधी तैयारियों, लोक स्वास्थ्य प्रणालियों और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत** करने के लिए **अतिरिक्त राजकोषीय संसाधन** जुटाना है।

विधेयक की मुख्य विशेषताएं

- इसे एक **विशेष उत्पाद शुल्क उपकर** के लिए एक स्पष्ट कानूनी ढांचा बनाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।
- विशेष **उत्पादों के निर्माण में उपयोग की जाने वाली मशीनरी/ प्रक्रियाओं पर क्षमता-आधारित उत्पाद शुल्क उपकर** प्रस्तुत करता है। आरंभ में यह **पान मसाला** पर लागू होगा।
- उपकर से प्राप्त आय भारत की **संचित निधि** के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा और लोक स्वास्थ्य का समर्थन करेगी।

हरिमऊ शक्ति अभ्यास

भारत और **मलेशिया** की सेनाओं ने **राजस्थान** में संयुक्त सैन्य अभ्यास **'हरिमऊ शक्ति' का 5वां संस्करण** शुरू किया।

हरिमऊ शक्ति अभ्यास के बारे में

- यह एक **वार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास** है, जो **बारी-बारी से भारत और मलेशिया में आयोजित** किया जाता है।
- इस अभ्यास का उद्देश्य **संयुक्त राष्ट्र शासनादेश के अध्याय VII** के तहत **उप-पारंपरिक अभियानों** का संयुक्त पूर्वाभ्यास करना है, जिसका ध्यान **समन्वित आतंकवाद-रोधी अभियानों** पर है।

सर्खियों में रहे स्थल

ओमान (राजधानी: मस्कट)

भारत-ओमान रणनीतिक सलाहकार समूह की 14वीं बैठक ओमान के **मस्कट** में आयोजित हुई।

ओमान के बारे में

भौगोलिक अवस्थिति

- यह **खाड़ी सहयोग परिषद (GCC)** का एक सदस्य है। यह अरब जगत का **सबसे पुराना स्वतंत्र राज्य** है।
- **सीमावर्ती देश:** यह **यमन** (दक्षिण-पश्चिम), **संयुक्त अरब अमीरात** (उत्तर-पश्चिम), और **सऊदी अरब** (पश्चिम) से घिरा हुआ है।
- **समुद्री सीमाएं: अरब सागर** (दक्षिण और पूर्व) तथा **ओमान की खाड़ी** (उत्तर)।

भौगोलिक विशेषताएं

- **रेगिस्तान: रूब अल-खली** (एम्प्टी क्वार्टर) रेगिस्तान।
- **पर्वत श्रृंखलाएं: हजर** और **धोफर**।
- **प्राकृतिक संसाधन:** पेट्रोलियम, तांबा, एस्बेस्टस, चूना पत्थर, प्राकृतिक गैस आदि।

अहमदाबाद | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | जयपुर | जोधपुर | गुवाहाटी | हैदराबाद | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | राँची | सीकर